न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 07 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस

रेसपोडेंटगण

केवलिया पुत्र केसीया जाति मेघवाल निवासी बेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	1. गीगीदेवी पुत्री केसीया पत्नी खीमाराम जाति मेगवाल निवासी पंऊ तहसील सिवाना 2. अणछीदेवी पुत्री केसीया पत्नी रीगाराम जाति मेगवाल निवासी मिठौड़ा तहसील सिवाना 3. धर्मोदेवी पुत्री केसीया पत्नी मांगाराम जाति मेगवाल निवासी भूका तहसील सिणधरी 4. सूर्यप्रकाश पुत्र देवाराम जाति मेगवाल निवासी अन्नपूर्णा नगर तहसील सिवाना 5. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना 6. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा मोकलसर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 64 / 2020 बअनवान गीगीदेवी वगैरा बनाम केवलिया वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.08.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नरपतसिंह भाटी रेस्पोडेंट की ओर से।
3. वकील श्री खीमाराम आकल रेस्पोडेंट संख्या 06 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 04.11.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बेरा नाडी पटवार हल्का कुण्डल भू अभिलेख निरीक्षक पादरू के राजस्व गांव बेरा नाडी में खेत खसरा संख्या 810 / 538 रकबा 06.1998 हैक्टयर किस्म धोरा की खाता संख्या नये 18 व खता संख्या पुराना 16 की आयी हुई है, तथाकथित वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की पुश्तैनी भूमि हैं, जो उनके पूर्वजों के नाम की हैं, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पूर्वज पिता स्व. केसीया का देहान्त होने

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

के उपरांत केसीया के जायंदा पुत्र केवलीया ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर तथा उनके समक्ष झुठे परिवार की वंशावली के तथ्य पेश कर केसीया के हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि एक मात्र अपने स्वयं के नाम प्रतिवादी संख्या 01 के नाम करवा दी, लेकिन वास्तव में केसीया के कुल चार संतानें जिसमें वादीगण गीगी व अणसी पुत्रियां, प्रतिवादी संख्या 01 केवलिया व प्रतिवादी संख्या 02 धर्मो व केसीया की पत्नी स्वयं जीवित होने के बावूजद भी अपने अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद करवा दिये। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हिस्सा होने से उन्हें अपने विधिक हकों की सुरक्षा करने का अधिकार हैं, जिससे वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/4–1/4 हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी है तथा इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। हस्तगत वाद का सम्मन ने तो अपीलांट को दिये, और न ही वाद पत्र के तथ्यों की प्रतिवादीगण को कोई जानकारी ही है, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई सबूत का कोई अवसर नहीं दिया न अपीलांट को सुना गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से सम्यक तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2021 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का अंकन किया गया है, किन्तु अपीलांट को दी गई नकले के मुताबिक आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं है लेकिन प्रकरण में नकले जारी होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर किये गये जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आराजी को वादीगण/रेस्पोडेंटस ने पैतृक भूमि मानते हुए हस्तगत दावा पेश किया जबकि इस बिंदु को तय करने के लिए साक्ष्य सबूत लेना आवश्यक है। वादी संख्या 02 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात रेस्पोडेंटस संख्या 04 सूर्यप्रकाश को अपीलाधीन आराजी का बेचान भी कर दिया। सर्यप्रकाश न तो मेरे परिवार का सदस्य है न ही रिश्तेदार है यह एक स्टेन्जर व्यक्ति है जो गिरोह चलाते है। वर्तमान प्रकरण एक युक्तिसंगत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकरण हैं, जिसमें श्री अपील न्यायालय का विधिक हस्तक्षेप आवश्यक हैं, यदि ऐसे युक्तिसंगत मामले में श्री अपील न्यायालय के द्वारा विधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता हैं, तो अपीलांट के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी होंगे, परिणाम स्वरूप अपीलांट अपने हक, हिस्से की भूमि से वंचित रह जायेगा। रेसपोडेंटस द्वारा बिना कब्जे का हवाई बेचाननामा अपीलांट से बाले बाले स्टेन्जर अजनबी जनों को करने हेतु उतारू है ऐसी धमकी भी दी जा रही है, यदि ऐसे स्टेन्जर व्यक्ति को भूमि का भाग बेचान किया गया वो ऐसा बेचान वादीगण के हकों के विरूद्ध शून्य, निष्प्रभावी एवं अप्रवृतनीय है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पूर्वज पिता स्व. केसीया का देहान्त होने के उपरांत केसीया के जायंदा पुत्र केवलीया ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर तथा उनके समक्ष झुठे परिवार की वंशावली के तथ्य पेश कर केसीया के हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि एक मात्र अपने स्वयं के नाम प्रतिवादी संख्या 01 के नाम करवा दी, लेकिन वास्तव में केसीया के कुल चार संतानें जिसमें वादीगण गीगी व अणसी पुत्रियां, प्रतिवादी संख्या 01 केवलिया व प्रतिवादी संख्या 02 धर्मो व केसीया की पत्नी स्वयं जीवित होने के बावूजद भी अपने अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद करवा दिये। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हिस्सा होने से उन्हें अपने विधिक हकों की सुरक्षा करने का अधिकार हैं, जिससे वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/4–1/4 हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये लेकिन जानबुझकर अपीलांटस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट द्वारा उतरदाता/वादीगण को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस अपील खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उत्तरदाता संख्या 06 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी बैंक में आज भी रहन है। बैंक के 32 लाख रूपये बकाया है। आज की तारीख में केवल 07–08 बीघा जमीन है केवलराम के पास में है। हस्तगत प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। प्रथम बार जानकारी सूर्यप्रकाश द्वारा दिनांक 30.01.2022 को मौके पर आकर अपीलांट के कब्जा काश्त में दखल हस्तक्षेप का असफल प्रयास किया जाने लगा, तब अपीलांट को उक्त तथ्यों की प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा दिनांक 31.01.2022 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की नकले मांगने हेतु आवेदन किया जो प्राप्त होने पर जानकारी हुई कि, अपीलांट को बिना सूचना, सुनवाई का अवसर दिये ही निर्णय, डिक्री पारित कर उनके खातेदारी के हक समाप्त कर दिये गये है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में कोई जानबुझकर देरी नहीं की गई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस के नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये उसके बावजूद भी जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से सम्यक तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई। रेस्पोडेंटस/वादीगण ने हस्तगत वाद को पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए पेश किया गया जबकि इस बिंदु का निस्तारण साक्ष्य सबूत के आधार पर ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 64/2020 बअनवान गीगीदेवी वगैरा बनाम केवलिया वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.08.2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को जबावदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.01.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर